(147)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.5(3)नविवि/3/99पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 6.7.2002

-आदेश-

नगर विकास न्यासों, स्थानीय निकायों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि भूमि पर ऐसी अनेक आवासीय योजनाएं विकसित हो गई हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गये हैं किन्तु आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित पेरामीटर्स का पालन नहीं किया है। ऐसे निर्माण सड़क सीमा एवं सुविधा क्षेत्र में कर दिये गये हैं। स्थानीय निकाय एवं नगर विकास न्यास इन निर्माणों को ध्वस्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं किन्तु नगर नियोजन के निर्धारित पेरा मीटर्स का अधिक उल्लंघन करना भी उचित नहीं है। इस समस्या के मानवीय पहलू को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए राज्यसरकार ने अपने आदेश क्रमांक-प.5(3)नविवि/99पार्ट दिनांक 11-1-2002 के द्वारा आवासीय एवं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सुविधा क्षेत्र के लिए स्वीकृत पेरा मीटर्स में 5 प्रतिशत शिथिलन का अधिकार जोनल कमेटी को दिया गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत नगर विकास न्यासों एवं स्थानीय निकायों को इसी अनुसार स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए ऐसी आवासीय योजनाएं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है, में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित पेरा मीटर्स में 5 प्रतिशत शिथिलन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

आज्ञा से,
(signature) 6.7.02
(एच. एस. भारद्वाज)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त/जिला कलेक्टर, समस्त।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त नगर-परिषदों/नगरपालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
8. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

(signature) 6.7.02
उपशासन सचिव

(057)